कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय
काम्पलेक्स (बी) ब्लाक, गौतम नगर, भोपाल–23

क्रमांक / तक. / हाईटेक हब / 2024–25 / ............(संक्षिप्त) 2043    भोपाल, दिनांक 14-10-2024

## हाईटेक हब स्थापित करने हेतु आवेदनों के आमंत्रण की सूचना (वर्ष 2024–25)

कृषकों को कृषि फसलों हेतु आधुनिक कृषि उपकरण देने के उद्देश्य से बैंक ऋण आधार पर हाईटेक हब स्थापित करने के इच्छुक व्यक्तियों से "ऑन–लाईन" आवेदन पत्र संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी की वेबसाईट www.chc.mpdage.org के माध्यम से निम्न श्रेणीयों अंतर्गत आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदकों को अपने आवेदन के साथ **धरोहर राशि के रूप में रू. 1.00 लाख के बैंक ड्रॉफ्ट** की फोटो प्रति अपलोड की जानी होगी। बैंक ड्रॉफ्ट "संचालक, कृषि अभियांत्रिकी म.प्र. भोपाल" के नाम से बनाया जाना होगा। ऐसे आवेदक जो चयन उपरांत हाईटेक हब स्थापित करने में असफल होंगे उनकी धरोहर राशि राजसात कर ली जायेगी।
हाईटेक हब के प्रकार निम्नानुसार है –

| क्रं. | हाईटेक **हब का प्रकार** | लक्ष्य | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | सामान्य | अनु.ज.जा. | अनु.ज. | योग |
| 1 | **गन्ना फसल** कटाई **का यंत्रीकरण** – प्रोजेक्ट की अधिकतम राशि रू. 1.30 करोड़ तक रखी जा सकती है तथा प्रोजेक्ट की लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम राशि रू. 52.00 लाख तक अनुदान देय होगा। | 16 | 2 | 2 | 20 |
| 2 | **धान फसल यंत्रीकरण –** प्रोजेक्ट की अधिकतम राशि रू. 80 लाख तक रखी जा सकती है तथा प्रोजेक्ट की लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम राशि रू. 32.00 लाख तक अनुदान देय होगा। | 6 | 1 | 1 | 8 |
| 3 | **धान स्ट्रॉ** सप्लाई चेन **यंत्रीकरण** के लिये क्षमता– **3000 मेट्रिक टन** प्रति सीजन एवं प्रोजेक्ट की लागत अधिकतम राशि रू. 1.00 करोड़ तक अथवा क्षमता– **4500 मेट्रिक टन** प्रति सीजन एवं प्रोजेक्ट की लागत अधिकतम राशि रू. 1.50 करोड़ तक रखी जा सकती है। सीआरएम योजना की गाईडलाईन अनुसार प्रोजेक्ट की लागत का 65 प्रतिशत अनुदान देय होगा। | 2 | 1 | 1 | 4 |
| | **योग** | **24** | **4** | **4** | **32** |

संचालक कृषि अभियांत्रिकी द्वारा उपरोक्त लक्ष्यों में आवश्यतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

प्रत्येक हाईटेक हब हेतु आवश्यक ट्रेक्टर एवं कृषि यंत्रों का उल्लेख विस्तृत विज्ञापन में प्रदाय किया गया है। **अनुदान की गणना** सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन योजना एवं सीआरएम में प्रदत्त दिशा–निर्देशों में प्रत्येक यंत्र हेतु दिये गये प्रावधान अनुसार अधिकतम सीमा तक की जावेगी। इसके साथ ही हितग्राही भारत सरकार के "एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड" (ए.आई.एफ.) अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के भी पात्र होंगे।

**कार्यक्रम अंतर्गत समय सीमायें** निम्नानुसार **है–**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | आवेदन करने की अवधि | – | दिनांक 18 अक्टूबर 2024 से 30 अक्टूबर 2024 तक प्रस्तुत किये जा सकेंगें। |
| *2.* | *जिलेवार आवेदकों के अभिलेखों का सत्यापन एवं बैंक ड्राफ्ट जमा करने की अवधि* | – | दिनांक 5 से 6 नवबंर 2024 तक प्रातः 10:30 से सायं 5:30 तक संबंधित संभागीय कृषि यंत्री / कार्यपालन यंत्री कार्यालयों में अभिलेखों का सत्यापन एवं प्रोजेक्टों का अवलोकन किया जायेगा। |
| 3. | कम्प्यूटराईज्ड लॉटरी पद्धति से जिलेवार प्राथमिकता सूचियों का निर्धारण | – | दिनांक 8 नवबंर 2024 को दोपहर 12.00 बजे संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी, भोपाल में कम्प्यूटराईज्ड लॉटरी की जायेगी।<br>(लॉटरी से जिलेवार निर्धारित की गई प्राथमिकता सूचियां संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के पोर्टल www.chc.mpdage.org पर 8 नवबंर 2024 को शाम 4.00 बजे से देखी जा सकेंगी।) |

विस्तृत विवरण संचालनालय की वेबसाईट (www.chc.mpdage.org) पर देखा जा सकता है।

संचालक कृषि अभियांत्रिकी
मध्यप्रदेश भोपाल

**कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय**
**काम्पलेक्स (बी) ब्लाक, गौतम नगर, भोपाल–23**

**कमांक / तक. / हाईटेक हब / 2024–25 / 2043 (विस्तृत)** **भोपाल, दिनांक** 14-10-2024

**हाईटेक हब स्थापित करने हेतु आवेदनों के आमंत्रण की सूचना (वर्ष 2024–25)**

कृषकों को कृषि फसलों हेतु आधुनिक कृषि उपकरण देने के उद्देश्य से बैंक ऋण आधार पर हाईटेक हब स्थापित करने के इच्छुक व्यक्तिगत आवदेकों से "ऑन–लाईन" आवेदन पत्र संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी की वेबसाईट www.chc.mpdage.org के माध्यम से निम्न श्रेणीयों अंतर्गत आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदकों को अपने आवेदन के साथ धरोहर राशि के रूप में रू. 1.00 लाख के बैंक ड्रॉफ्ट की फोटो प्रति अपलोड की जानी होगी। बैंक ड्रॉफ्ट "संचालक, कृषि अभियांत्रिकी म.प्र. भोपाल" के नाम से बनाया जाना होगा। ऐसे आवेदक जो चयन उपरांत हाईटेक हब स्थापित करने में असफल होंगे उनकी धरोहर राशि राजसात कर ली जायेगी।

**हाईटेक हब के प्रकार एवं लक्ष्य –**

| क्रं. | हाईटेक हब का प्रकार | लक्ष्य | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | सामान्य | अनु.ज.जा. | अनु.ज. | योग |
| 1 | **गन्ना फसल कटाई का यंत्रीकरण –** प्रोजेक्ट की अधिकतम राशि रू. 1.30करोड़ तक रखी जा सकती है तथा प्रोजेक्ट की लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम राशि रू. 52.00 लाख तक अनुदान देय होगा। | 16 | 2 | 2 | 20 |
| 2 | **धान फसल यंत्रीकरण –** प्रोजेक्ट की अधिकतम राशि रू. 80 लाख तक रखी जा सकती है तथा प्रोजेक्ट की लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम राशि रू. 32.00 लाख तक अनुदान देय होगा। | 6 | 1 | 1 | 8 |
| 3 | **धान स्ट्रॉ सप्लाई चेन यंत्रीकरण** के लिये क्षमता– **3000 मेट्रिक टन** प्रति सीजन एवं प्रोजेक्ट की लागत अधिकतम राशि रू. 1.00 करोड़ तक अथवा क्षमता– **4500 मेट्रिक टन** प्रति सीजन एवं प्रोजेक्ट की लागत अधिकतम राशि रू. 1.50 करोड़ तक रखी जा सकती है। सीआरएम योजना की गाईडलाईन अनुसार प्रोजेक्ट की लागत का 65 प्रतिशत अनुदान देय होगा। | 2 | 1 | 1 | 4 |
| | योग | **24** | **4** | **4** | **32** |

संचालक कृषि अभियांत्रिकी द्वारा उपरोक्त लक्ष्यों में आवश्यतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

**श्रेणीवार हाईटेक–हब हेतु अनिवार्य यंत्र निम्नानुसार लिये जा सकते हैं:–**

**(अ) गन्ना फसल कटाई का यंत्रीकरण–**

| कमांक | यंत्र का नाम | अधिकतम संख्या |
|---|---|---|
| 1 | शुगरकेन हार्वेस्टर | 1 |
| 2 | इन्फील्डर (हाईड्रोलिक सिस्टम के साथ न्यूनतम 4 टन क्षमता) | 2 |
| 3 | ट्रेक्टर (न्यूनतम 50 एचपी) | 2 |

इस श्रेणी अंतर्गत प्रोजेक्ट की अधिकतम राशि रू. 1.30 करोड़ तक रखी जा सकती है। हितग्राहियों को प्रोजेक्ट की लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम राशि रू. 52 लाख तक का अनुदान देय होगा।

(ब) धान फसल यंत्रीकरण–

| कमांक | यंत्र का नाम | अधिकतम संख्या |
|---|---|---|
| 1 | पैडी कम्बाईन हार्वेस्टर (ट्रेक टाईप) | 1 |
| 2 | रेक | 1 |
| 3 | बेलर | 1 |
| 4 | राईस ट्रांसप्लांटर (6 कतार एवं 4 व्हील) | 1 |
| 5 | लेजर लैण्ड लेवलर | 1 |
| 6 | ट्रेक्टर (50 एचपी या उससे अधिक) | 1 |
| 7 | हैप्पी सीडर/सुपर सीडर | 1 |
| 8 | स्लेशर | 1 |
| 9 | बूम स्प्रेयर | 1 |

इस श्रेणी अंतर्गत प्रोजेक्ट की लागत अधिकतम राशि रू. 80 लाख तक रखी जा सकती है। हितग्राहियों को प्रोजेक्ट की लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम राशि रू. 32.00 लाख तक अनुदान देय होगा।

(स) धान स्ट्रॉ सप्लाई चेन यंत्रीकरण

(i) न्यूनतम **क्षमता– 3000 मेट्रिक टन प्रति सीजन के प्रोजेक्ट** हेतु – प्रोजेक्ट की लागत एसएमएएम योजनान्तर्गत सीआरएम में प्रावधानित अधिकतम राशि रू. 1.00 करोड़ तक रखी जा सकती है। हितग्राहियों को प्रोजेक्ट की लागत का 65 प्रतिशत अधिकतम राशि रू. 65.00 लाख तक अनुदान राशि देय होगा। प्रोजेक्ट के अंतर्गत निम्न यंत्रों को रखना अनिवार्य होगा।

| कमांक | यंत्र का नाम | अधिकतम संख्या |
|---|---|---|
| 1 | कटर/रोटरी स्लेसर | 2 |
| 2 | ट्रेक्टर (50 एचपी या उससे अधिक) | 3 |
| 3 | ट्रेक्टर (35 एचपी से 45 एचपी तक) | 2 |
| 4 | बेलर | 3 |
| 5 | रेक | 2 |
| 6 | ट्रॉली | 2 |

(ii) न्यूनतम **क्षमता– 4500 मेट्रिक टन प्रति सीजन के प्रोजेक्ट** हेतु – प्रोजेक्ट की लागत अधिकतम राशि रू. 1.50 करोड़ तक रखी जा सकती है। हितग्राहियों को प्रोजेक्ट की लागत का 65 प्रतिशत अधिकतम राशि रू. 97.50 लाख तक अनुदान राशि देय होगा। प्रोजेक्ट के अंतर्गत निम्न यंत्रों को रखना अनिवार्य होगा।

| कमांक | यंत्र का नाम | अधिकतम संख्या |
|---|---|---|
| 1 | कटर/रोटरी स्लेसर | 3 |
| 2 | ट्रेक्टर (50 एचपी या उससे अधिक) | 5 |
| 3 | ट्रेक्टर (35 एचपी से 45 एचपी तक) | 3 |
| 4 | बेलर | 5 |
| 5 | रेक | 3 |
| 6 | ट्रॉली | 3 |

उक्त श्रेणियों में से हितग्राही को किसी एक श्रेणी के ही हाई–टेक हब की पात्रता होगी।

उपरोक्त श्रेणियों के अंतर्गत प्रोजेक्ट के साथ हाईटेक–हब के कार्यक्षेत्र, क्रियान्वयन की रूपरेखा, लाभान्वित होने वाले कृषकों की अनुमानित जानकारी आदि भी प्रस्तुत की जाना अनिवार्य होगा। उपरोक्त प्रोजेक्टों अंतर्गत अनुदान की गणना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन तथा सी.आर.एम. योजना में प्रदत्त दिशा–निर्देशानुसार प्रत्येक यंत्र हेतु दिये गये प्रावधान अनुसार अधिकतम सीमा तक की जावेगी। इसके साथ ही हितग्राही भारत सरकार के "एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड" (ए.आई.एफ.) अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के भी पात्र होंगे।

## सामान्य शर्तें एवं पात्रता–

1. श्रेणी (अ) **गन्ना फसल कटाई हेतु** प्रोजेक्ट के साथ शुगरमिल से कार्य उपलब्ध होने का अनुबंध भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. श्रेणी (स) **धान स्ट्रॉ सप्लाई चेन यंत्रीकरण** यूनिट को अपनी स्वेच्छानुसार निम्नलिखित दो विकल्पों में एक का चयन कर केन्द्र को स्थापित किया जा सकता है:–

(i) हितग्राही एवं औद्योगिक (इण्डस्ट्रीज) के मध्य यदि द्विपक्षीय अनुबंध किया जाता है, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में निम्नानुसार प्रोजेक्ट् की लागत का वितरण किया जायेगा:–

| **क्रमांक** | **केन्द्र की लागत में अंशधारी** | **लागत के अंश का विवरण** |
|---|---|---|
| 1 | हितग्राही | न्यूनतम 10 प्रतिशत |
| 2 | औद्योगिक (इण्डस्ट्रीज) | लागत का शेष भाग |

(ii) हितग्राही एवं औद्योगिक (इण्डस्ट्रीज) के मध्य यदि द्विपक्षीय अनुबंध नही किया जाता है, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में निम्नानुसार प्रोजेक्ट् की लागत का वितरण किया जायेगा:–

| **क्रमांक** | केन्द्र **की लागत में अंशधारी** | **लागत के अंश का विवरण** |
|---|---|---|
| 1 | हितग्राही | लागत का शेष भाग |

3. इस कार्यकम के अंतर्गत आवेदकों से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लॉटरी के माध्यम से प्राथमिकता कम का निर्धारण किया जायेगा। प्राथमिकता कम सूची में से लक्ष्य अनुसार आवेदकों का चयन कर लाभ प्रदाय किया जायेगा।
4. चयनित आवेदकों द्वारा प्रोजेक्ट संबंधित कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री के कार्यालय (सूची संलग्न) में प्रस्तुत करना होगा। प्रोजेक्ट की विषयवस्तु तथा कियान्वयन का अवलोकन संभागीय समिति के द्वारा किया जाकर अंतिम निर्णय लिया जावेगा। कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री द्वारा प्रोजेक्ट का परीक्षण कर यह देखा जायेगा कि आवेदक ने प्रोजेक्ट भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप प्रस्तुत किया है अर्थात् आवेदक द्वारा पंजीकृत निर्माताओं से पंजीकृत सामग्री का क्रय संचालनालय के डीबीटी पोर्टल पर निर्धारित दरों के अधीन ही किया जा रहा है अथवा नहीं। प्रोजेक्ट उपयुक्त पाये जाने पर संबंधित कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री द्वारा प्रोजेक्ट का आवेदन एआईएफ अंतर्गत आवेदक से प्रस्तुत करवाना होगा। भारत सरकार से सहमति प्राप्त होने पर भविष्य में उन्हें अनुदान की पात्रता संचालनालय की योजनाओं के अंतर्गत निहित प्रावधानों के अनुसार बैक एण्डेड सबसिडी के रूप में होगी। संबंधित आवेदक को यह भी स्पष्ट रूप से अवगत कराना होगा कि आवंटन के अभाव में अनुदान राशि के आहरण में विलंब हो सकता है। अतः विलम्ब के लिए संचालनालय अथवा अधीनस्थ कोई भी कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

आवेदकों से प्राप्त प्रोजेक्ट में से (अ) एवं (ब) श्रेणी के प्रोजेक्टों का परीक्षण संभाग संभाग स्तर पर गठित तकनीकी समिति द्वारा किया जायेगा एवं उपयुक्त प्रोजेक्ट पर अनुमति प्रदान की जायेगी। श्रेणी (स) के अंतर्गत प्राप्त प्रोजेक्टों का परीक्षण संचालनालय स्तर पर गठित तकनीकी समिति द्वारा संभागीय कृषि यंत्री की अनुशंसा के उपरांत किया जायेगा एवं उपयुक्त प्रोजेक्टों में अनुमति प्रदान की जायेगी।

5. एआईएफ के माध्यम से स्वीकृति के उपरांत आवेदक का प्रोजेक्ट ऋण स्वीकृति हेतु बैंकों को सीधे कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री द्वारा अग्रेषित किया जाएगा। बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति उपरांत हितग्राही द्वारा केन्द्र की स्थापना की जाएगी।
6. केन्द्र स्थापना उपरांत बैंक द्वारा संबंधित कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री से अनुदान राशि की मांग की जाएगी। कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री द्वारा केन्द्र का भौतिक सत्यापन संयुक्त रूप से बैंक अधिकारी एवं सहायक कृषि यंत्री से कराया जाएगा। भौतिक सत्यापन में उपयुक्त पाये गये आवेदनों पर नियमानुसार अनुदान की राशि संबंधित बैंक को **बैक एण्डेड सबसिडी** के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।
7. व्यक्तिगत श्रेणी में वे ही आवेदक पात्र होंगें जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी होकर प्रदेश में ही निवास कर रहे हों।
8. हाईटेक हब की स्थापना हेतु हितग्राही को अनुदान राशि केवल मशीनों/यंत्रों की लागत के आधार पर देय होगी।
9. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में सेवारत व्यक्ति तथा शासकीय योजनाओं की सहायता से स्व–रोजगार स्थापित किये आवेदक एवं पूर्व में इस योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त आवेदक आवेदन नही कर सकेंगें अर्थात् योजना के लिये पात्र नहीं होंगें।

**कार्यकम अंतर्गत समय सीमायें निम्नानुसार है–**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | आवेदन करने की अवधि | – | दिनांक 18 अक्टूबर 2024 से 30 अक्टूबर 2024 तक प्रस्तुत किये जा सकेंगें। |
| 2. | *जिलेवार आवेदकों के अभिलेखों का सत्यापन एवं बैंक ड्राफ्ट जमा करने की अवधि* | – | दिनांक 5 से 6 नवबंर 2024 तक प्रातः 10:30 से सायं 5:30 तक संबंधित संभागीय कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री कार्यालयों में अभिलेखों का सत्यापन एवं प्रोजेक्टों का अवलोकन किया जायेगा। |
| 3. | कम्प्यूटराईज्ड लॉटरी पद्धति से जिलेवार प्राथमिकता सूचियों का निर्धारण | – | दिनांक 8 नवबंर 2024 को दोपहर 12.00 बजे संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी, भोपाल में कम्प्यूटराईज्ड लॉटरी की जायेगी। (लॉटरी से जिलेवार निर्धारित की गई प्राथमिकता सूचियां संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के पोर्टल www.chc.mpdage.org पर 8 नवबंर 2024 को शाम 4.00 बजे से देखी जा सकेंगी।) |

**जिलों से संबंधित संभागीय कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री कार्यालयों के विवरण निम्नानुसार हैः–**

| क. | आवेदन का जिला | संभागीय कृषि यंत्री कार्यालय का पता तथा दूरभाष कंमाक |
|---|---|---|
| 1 | भोपाल संभाग एवं नर्मदापुरम संभाग के सभी जिले। | संभागीय कृषि यंत्री, नई जेल रोड, ग्राम–बड़वई भोपाल, दूरभाष – 0755–2736200 |
| 2 | इन्दौर संभाग एवं उज्जैन संभाग के सभी जिले। | संभागीय कृषि यंत्री, कौशल विकास केन्द्र, रिंग रोड, हंस ट्रेवल्स के पास, पिपलियाहाना, मूसा–खेड़ी, इन्दौर दूरभाष – 0731–2368440/2997130 |
| 3 | रीवा संभाग एवं शहडोल संभाग के सभी जिले। | संभागीय कृषि यंत्री, सिविल लाईन, पन्ना रोड़ सतना, दूरभाष – 07672–222223 |
| 4 | जबलपुर संभाग के सभी जिले। | संभागीय कृषि यंत्री, संजय नगर, आधारताल, जबलपुर, दूरभाष –0761–2680928 |
| 5 | सागर संभाग के सभी जिले। | कार्यालय कार्यपालन यंत्री, बीहड़ कृष्यकरण योजना, सागर संभाग, कृषि यंत्रीकरण परिसर, पुरानी तहसील के पास बरिया तिगडड़ा, न्यु ऑफिसर कॉलोनी सागर, पिन कोड–470002 दूरभाष– 07582–241554 |
| 6 | ग्वालियर संभाग एवं चंबल संभाग के सभी जिले। | संभागीय कृषि यंत्री, मेला ग्राउंड के सामने, रेस कोर्स रोड़, ग्वालियर, दूरभाष – 0751–2364595 |

संचालक कृषि अभियांत्रिकी
मध्यप्रदेश भोपाल